

समस्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 8) को NIOS में पंजीयन कराने की प्रक्रिया (Process Flow)

- <http://dled.nios.ac.in> अथवा <http://scert.cg.gov.in> वेबसाइट ओपन करें।
- पंजीयन करने से पहले <http://scert.cg.gov.in> पर उपलब्ध सामान्य निर्देश पढ़ें।
- समस्त अप्रशिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 8) को NIOS के माध्यम से डी.एल.एड. करने की पात्रता है।
- **शिक्षकों का ऑनलाईन पंजीयन /लॉगिन**
 1. अप्रशिक्षित शिक्षक स्वयं को NIOS के वेबसाइट पर पंजीयन करायेगा। पंजीयन के समय ई-मेल, मोबाईल नम्बर, यू-डाईस कोड (UDISE CODE) एवं पासवर्ड (स्वयं के द्वारा रखना है)।
 2. पंजीयन कराने के बाद अप्रशिक्षित शिक्षक लॉगिन करेगा एवं पंजीयन प्रपत्र की प्रविष्टि करेगा जिसमें सामान्यतः निम्न जानकारियां मांगी जायेगी।

नाम ,पिता का नाम, माता का नाम, पता, जिला, राज्य, पिन कोड, आधार नम्बर/वोटर आई डी. (आधार नम्बर नहीं होने की स्थिति में ही वोटर आई डी. क्रमांक दें), जन्म तिथि, धर्म, वर्ग, दिव्यांगता का प्रकार (यदि लागू हो), अध्यापन का विषय, कक्षा बारहवीं का प्रतिशत, बारहवीं उत्तीर्ण करने का वर्ष, नियुक्ति तिथि।
 3. पंजीयन फार्म की प्रविष्टि पूर्ण होने पर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।
 4. भुगतान पूर्ण होने पर 10 अंकों का Reference Number प्राप्त होगा इसे नोट कर लें।
 5. यदि पंजीयन के दौरान Payment Fail हो जाये तो राशि 3-4 दिनों के पश्चात स्वतः आपके खाते में वापस आ जायेगी। इसके लिये कहीं भी फोन करने की आवश्यकता नहीं है। Payment Fail होने की स्थिति में आपको अपनी सुविधानुसार निर्धारित तिथि तक भुगतान करना है।
 6. अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा पंजीयन पूर्ण करने एवं भुगतान के सफल होने के उपरांत अपने संस्था प्रमुख को सूचित करें। संस्था प्रमुख द्वारा अपने विद्यालय को NIOS के वेबसाइट में पंजीयन कराना है।
 7. संस्था प्रमुख NIOS में पंजीयन उपरांत लॉगिन करेंगे एवं अपने विद्यालय के अप्रशिक्षित शिक्षक द्वारा की गई प्रविष्टि को सत्यापित करेंगे।
 8. संस्था प्रमुखों को NIOS के वेबसाइट पर पंजीयन करने एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों की प्रविष्टियों को सत्यापित करने का आदेश सचिव छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 10/08/2017 को

जारी किया गया है। आदेश की प्रति राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

9. संस्था प्रमुख द्वारा अप्रशिक्षित शिक्षक के प्रविष्टि को सत्यापित करने पर 14 अंकों का Enrollment No. प्राप्त होगा इसे अपने अभिलेख में रख लें एवं संबंधित शिक्षक को नोट करा दें।

राज्य नोडल अधिकारी द्वारा पंजीयन

10. राज्य नोडल अधिकारी अपने ई-मेल आई.डी., मोबाईल नम्बर एवं पासवर्ड (स्वयं का रखा हुआ) के द्वारा पंजीयन करेंगे।

11. राज्य नोडल अधिकारी पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करेंगे एवं अप्रशिक्षित शिक्षकों / संस्था प्रमुखों/ जिला शिक्षा अधिकारियों / विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करायेंगे।

12. अप्रशिक्षित शिक्षकों को किसी भी तरह की समस्या होने पर अपने संस्था प्रमुख से सम्पर्क करें उसके पश्चात संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क करें। यदि फिर भी आपकी समस्या का समाधान /निराकरण न हो तो राज्य कार्यालय में ई-मेल/SMS/Whatsapp/ फोन नम्बरों पर सम्पर्क करें।

deledcg@gmail.com

7587499903 Santosh Tamboli, Lecturer, SCERT CG, Raipur

(If the matter is not very urgent please call between 6:00PM-10:00PM)

rcraipur@nios.ac.in

Regional office NIOS Raipur

0771-2442147/67

Regional office NIOS Raipur

(10:00-5:00PM)

9424199751

Dr. Sunita Jain, Additional Director, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)

7587499911

Shri N. K. Pradhan, Assistant Director, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)

7587499935

Shri Dekeshwar Verma, HM, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)

7587499912

Shri Hemant Sao, Lecturer, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)

7587499910

Shri Nitin Talokar, Assistant Professor, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)

7587499974

Shri Diwakar Nimje, Asst. Programmer, SCERT CG, Raipur

(10:00-5:00PM)
